

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/सड़क-09-01/2018

49

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-04/09/18

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की राशि कुल ₹266.12350 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख बारह हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक सुविधा मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की गई थी। तदनुसार निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं के लिए आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा तथा नगर पंचायत- बोधगया तथा जगदीशपुर द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 9 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹266.12350 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख बारह हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/ दिनांक	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	कोषागार से निकासी नहीं की गई राशि	अवशेष राशि [5-(6-7)]	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०-22 के अंतर्गत पाटलीपुत्रा कॉलोनी में मकान संख्या- 236 के सामने अवस्थित पार्क उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	28 / 12.08.2015	130.26300	65.02650	0.00000	65.23650	65.23650
2	नगर परिषद्, मोकामा	वार्ड नं०- 21 मोकामा में गंगा घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	15 / 15.07.2015	61.25400	30.62700	0.00000	30.62700	30.62700
3	नगर पंचायत, बोधगया	नगर पंचायत, बोधगया अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण कार्य।	113 / 14.02.2015	135.26000	67.63000	47.63000	115.26000	115.26000
4	नगर पंचायत, जगदीशपुर	इंजरीया पोखरा का जीर्णोद्धार	127 / 07.03.2018	55.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000
कुल योग				381.77700	163.28350	47.63000	266.12350	266.12350

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹266.12350 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख बारह हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹266.12350 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख बारह हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा तथा नगर पंचायत— बोधगया एवं जगदीशपुर होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक— 17.04.98 एवं पत्रांक— 354, दिनांक— 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 1496, दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :-

(क) उक्त स्वीकृत ₹266.12350 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख बारह हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र में से क्रमांक— 1 के स्तम्भ— 9 में अंकित ₹65.23650 लाख (षैंसठ लाख तेईस हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष, 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष— 01—राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष— 191—नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष— 0109—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें—सहायक अनुदान विपत्र कोड— 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत ₹266.12350 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख बारह हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र में से क्रमांक— 2 के स्तम्भ— 9 में अंकित ₹30.62700 लाख (तीस लाख बासठ हजार सात सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष— 03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष— 192—नगर पालिकाओं—नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष— 0105—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें—सहायक अनुदान, विपत्र कोड— 48-2217031920105, विषय शीर्ष— 0105.31.05 सहायक अनुदान— परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) उक्त स्वीकृत ₹266.12350 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख बारह हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र में से क्रमांक- 3 से 4 के स्तम्भ- 9 में अंकित कुल ₹170.26000 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख छब्बीस हजार रु०) मात्र की निकासी उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2018 के पृष्ठ सं०- 25 /टि० पर दिनांक- 31/08/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 25 /टि० पर दिनांक- 31/08/2018 को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Signature)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018 49 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 04/09/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर एवं गया/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोकामा तथा नगर पंचायत- बोधगया एवं जगदीशपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
सरकार के विशेष सचिव।

